

Disclaimer

“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”

अस्वीकरण

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

क्षेमा समृद्धि प्रॉस्पेक्टस

व्यक्तिगत किसानों के लिए व्यापक फसल संरक्षण

1. परिचय

क्षेमा समृद्धि एक विशेष बीमा योजना है जिसे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे फसल की वसूली और लचीलेपन के लिए समय पर समर्थन सुनिश्चित किया जा सके।

नोट: यह विवरण पुस्तिका केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह एक बीमा अनुबंध का गठन नहीं करता है। प्रत्येक बीमा कवर विशिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन है। कृपया आधिकारिक पी.

2. खरीदारी का सफर

इस बीमा को प्ले स्टोर से क्षेमा ऐप डाउनलोड करके और अपने मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करके और खरीद यात्रा को पूरा करके या हमारे पी. ओ. एस. पी. (एम) तक पहुँचकर खरीदा जा सकता है।

3. बीमा खरीदने का समय:

कम्पनी प्रत्येक फसल मौसम अवधि के दौरान बीमा के लिए नामांकन खोलती है जिसे आम तौर पर खरिफ और रबी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए विभिन्न कारकों के आधार पर नामांकन विंडो तय की जाती है और बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।

आपको अपनी फसल बोने के 15 दिनों के भीतर बीमा के लिए आवेदन करना होगा। आप नामांकन विंडो के भीतर किसी भी बाद की तारीख के लिए बीमा भी खरीद सकते हैं। कृपया ऐप में नामांकन विंडो की जांच करें।

4. इस बीमा के अंतर्गत आने वाली फसलें:

180 दिनों की फसल जीवन चक्र अवधि के भीतर सभी मौसमी फसलों का बीमा किया जा सकता है।

5. कवरेज की मुख्य विशेषताएं

आप निम्नलिखित खतरों के कारण फसल के नुकसान/क्षति की स्थिति में इस समृद्धि बीमा पॉलिसी के तहत नुकसान/क्षति के लिए दावा करने के पात्र हैं:

- चक्रवात नाम दिया गया
- भूकंप
- बाढ़
- जलप्लावन (हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं)
- भूस्खलन
- बिजली गिरने से लगी आग

6. प्रमुख कारण जो इस नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं

निम्नलिखित जोखिम कुछ महत्वपूर्ण कारण/परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत इस बीमा के तहत कोई नुकसान या क्षति देय नहीं है:

- युद्ध, परमाणु जोखिम, आतंकवाद
- किसी भी प्रकार के परिणामी नुकसान
- दुर्भावनापूर्ण क्षति, आगजनी, चोरी, दंगे, हड़तालें
- प्रदूषण, संदूषण, राजनीतिक जोखिम
- ज्वालामुखीय विस्फोट, तटीय/नदी कटाव
- फसल कटाई के बाद नुकसान (भले ही उपज में कटौती की जाए और उसे फैलाया जाए)
- पनबिजली से हाइड्रोफिलिक फसलों को नुकसान
- जोखिम जिनका नीति अनुसूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है
- सहायक संरचनाएँ (जैसे, स्टेकिंग, ट्रेलिस)
- अंतः फसल या मिश्रित फसल
- खेत के स्थान निर्देशांक में बेमेल
- अतिरिक्त और परिचालन लागत हानि का दावा करें
- मलबे को हटाने या फसल निपटान के लिए खर्च
- बीमित बहुभुज के बाहर नुकसान
- नर्सरी फसलें, उपज का नुकसान, प्रतीक्षा अवधि का नुकसान
- धोखाधड़ी या अतिरंजित दावे

7. दावा प्रक्रिया और आपकी जिम्मेदारियाँ

फसल को नुकसान पहुँचाने वाले खतरे की स्थिति में, कृपया इन चरणों का पालन करें:

- a) तुरंत सूचित करें: घटना के 24 घंटे के भीतर क्षेमा ऐप, ईमेल (customer.support@kshema.co), या टोल-फ्री नंबर 1800 572 3013 के माध्यम से नुकसान की सूचना दें।
- b) दावे के समय आवश्यक दस्तावेज़:
 - क्षेमा ऐप का उपयोग करके तारीख/समय टिकट के साथ जियो-टैग की गई तस्वीरों को कैप्चर करें।

- पूरे बीमित क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रों की वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करें।
- अनुमानित क्षेत्र और स्थान सहित नुकसान का विस्तृत विवरण प्रदान करें।
- c) अन्य नीतियों का खुलासा करें: उसी फसल को कवर करने वाले किसी भी अन्य बीमा का विवरण साझा करें।
- d) साक्ष्य का संरक्षण: क्षतिग्रस्त फसल की तब तक रक्षा करें जब तक क्षेमा उसका सत्यापन और मूल्यांकन पूरा नहीं कर लेता।
- e) सहायक दस्तावेज जमा करें:
 - हानि की तिथि पर बीमायोग्य ब्याज का प्रमाण।
 - नुकसान की तारीख से 7 दिनों के लिए हर दूसरे दिन फोटो और वीडियो।
 - क्षेमा द्वारा मांगी गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी।

8. दावा निपटान का आधार:

दावे को आपके द्वारा प्रस्तुत उपग्रह छवि, फोटो और वीडियो और फसल के चरण के आधार पर नुकसान के सूत्र के आधार पर संसाधित किया जाएगा।

9. शिकायत निवारण

हम आपकी चिंताओं को शीघ्र और निष्पक्ष रूप से हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चरण 1: हमसे संपर्क करें

- Email: customer.support@kshema.co
- फोन: 1800 572 3013 (टोल-फ्री)
- पता: क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, #413, चौथी मंजिल, माई होम टाइकून, बेगमपेट, हैदराबाद-500016
- ऐप: क्षेमा एप्लिकेशन

चरण 2: यदि आवश्यक हो तो वृद्धि करें

- Email: grievance.cell@kshema.co or gro@kshema.co
- फोन: 1800 570 2998 (टोल-फ्री)
- वेबसाइट: शिकायत निवारण अनुभाग

चरण 3: बाहरी अधिकारी

- बीमा लोकपाल: www.cioins.co.in
- आई. आर. डी. ए. आई. बीमा भरोसा पोर्टल: bimabharosa.irdai.gov.in
- आई. आर. डी. ए. आई. शिकायत कॉल सेंटर: 1800 4254 732/155255